खबर संक्षेप

जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के लिए अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी

उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने जिला चिकित्सालय उमरिया का निरीक्षण किए जाने के लिए दिनवार अधिकारियों की डियुटी लगाई है । जिसमें सोमवार को अभय सिंह ओहरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मंगलवार को अपर कलेक्टर शिवगोविंद सिंह मरकाम, बुधवार को एसडीएम बांधवगढ रीता डेहरिया, गुरूवार को अखिलेश पाण्डेय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, शुक्रवार को मीनाक्षी बंजारे डिप्टी कलेक्टर, शनिवार को अंबिकेश प्रताप सिंह डिप्टी कलेक्टर तथा रविवार को हरनीत कौर डिप्टी को अस्पताल का निरीक्षण किए जाने हेतु डियुटी लगाई है ।

कमलेश वर्मा को कमिश्नर कार्यालय के लिए कार्यमुक्त

उमरिया। कमिश्नर कार्यालय में कार्यालयीन कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमलेश वर्मा भृत्य उप तहसील कार्यालय बरबसपुर को कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल में कार्य संपादन के लिए अस्थाई रूप से कार्यादेशित किया गया है, जिसके परिपालन में कमलेश वर्मा भृत्य उप तहसील बरबसपुर तहसील मानपुर को कार्यालय कमिश्नर के लिए भारमुक्त कर दिया गया है ।

अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन बुलडोजर

उमरिया। जिला मुख्यालय उमरिया में रमपुरी मोहल्ले में धार्मिक इमाम चौक में बर्षो पुराने धार्मिक चबूतरे को घेरकर बनाईं गई बाउन्ड्री बाल के अतिक्रमण को राजस्व, पुलिस एवं नगरीय निकाय की टीम द्वारा हटा दिया गया है। यह अतिक्रमण नगरपालिका के नजूल क्रमांक 0006/ए - 68/23-24 आदेश दिनांक 17 जनवरी के पालन में खसरा नंबर 876 से हटाया गया है। यह कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह, एसडीएम बांधवगढ़ रीता डेहरिया तथा तहसीलदार सतीश सोनी के उपस्थिति में पूरी की गई।

कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह हुआ संपन्न

शहडोल। जिले के गोहपारू जनपद में भगवती पब्लिक स्कूल के कक्षा 8 वीं का शत प्रतिशत रिजल्ट आने पर कक्षा 8 के बच्चों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बी.पी.एस स्कूल गोहपारू में कार्यक्रम में कक्षा 7 के छात्र-छात्राओं द्वारा कक्षा 8 के छात्र-छात्राओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं छात्रों द्वारा उपहार भेंट किया गया, कक्षा 8 में अव्वल रहे। विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, उक्त कार्यक्रम में जनता महाविद्यालय संचालक के.के.तिवारी, के.डी.द्विवेदी, रमजान, स्वदेश प्रसन्न तिवारी, आशा वर्मन सहित स्कूल का समस्त स्टाफ, अभिभावक-अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ ।

घटना के बाद बैठकों तक सीमित रहे हैं वरिष्ठों के आदेश

प्रशासन का निकम्मापन फिर दे सकता है हिंसक गतिविधि को जन्म

10 माह पूर्व अवैध प्लाटिंग करने वालों की सूची पटवारी द्वारा जिला प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, नामजद अवैध प्लाटिंग करने वालों के नाम एवं बगैर सूचना दिये कालोनी बनाने वालों के नाम प्रशासन के पर मौजूद हैं, प्रशासन का यह निकम्मापन यहां कभी भी हिंसक गतिविधियों को जन्म दे सकता है।

नामजद अवैध प्लाटिंग करने वालों के सरपरस्त बने नौकरशाह

शहडोल। जिले भर में हो रही अवैध प्लाटिंग व कालोनाइजिंग प्रक्रिया को जिला प्रशासन का सीधा वरदहस्त प्राप्त है। लाख शिकायतें होती रहें और पटवारी प्रतिवेदन देकर सिर पटकते रहें लेकिन सब बेमानी है। माफियाओं की मोटी गड्डियों ने सबको अभिभूत कर रखा है। न्यायसंगत कार्रवाई और शासकीय संपत्ति का जिम्मेदारी से संरक्षण करने वाले सिद्धांत अब एक कोने खूंटी पर टांग दिए गए हैं। जिले भर में पकड़े गए इसी तरह के 19 सौ मामलों का क्या हुआ यह किसी को पता नहीं चला लेकिन मौके पर देखने से ज्ञात होता है कि निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। अगर कोई ठोस कार्रवाई हो गई होती तो निर्माण कैसे होता। अब तो कार्रवाई टालने का एक नया नुस्खा ढूंढ़ लिया गया है। कुल मिला कर अवैध प्लाटिंग रोकने प्रशासन से उम्मीद करना ही बेकार है। समीपी कोटमा ग्राम इस मामले में सबसे अधिक संवेदनशील होता जा रहा है।

एसडीएम को सौंपी थी रिपोर्ट

ग्राम कोटमा अंतर्गत हो रहे अवैध प्लॉटिंग कॉलोनाइजेशन की सूचना अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सोहागपुर को 27 जून 2023 को पटवारी द्वारा दी गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि सुखराम काछी पिता रामगरीब काछी ने रकवा 0.018 में 7 प्लाटिंग, आनंद बहादुर सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह ने रकवा 0.105 में 2 प्लाटिंग, शकुंतला, कलावती, हेमकली पिता सुखई प्रजापति ने रकवा 0.055 में 7 प्लाटिंग, श्रीमती रूकमणी पत्नी बृजराज पयासी ने रकवा 0.021 में 3 प्लाटिंग, छुन्नीलाल पिता सुद्धा ढीमर ने रकवा 0.111 में 7 प्लाटिंग किया है।

प्रतिवेदन में इनके थे नाम

पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में दर्शाया है कि किशन चौकसे पिता राम सिंह चौकसे ने रकवा 0.070 में 7 प्लाटिंग, राकेश, दिनेश, आकाश, दीप पिता श्याम लाल ने रकवा 0.024 में 10 प्लाटिंग, घनश्याम दास जायसवाल पिता बंशीलाल ने रकवा 0.477 में 10 प्लाटिंग, जितेन्द्र प्रजापति पिता खेमनलाल प्रजापति ने रकवा 0.137 में 8 प्लाटिंग, राम सुफल ढीमर पिता सहगू ढीमर ने रकवा 0.003 में 6 प्लाटिंग, गणेश प्रसाद ढीमर पिता धीरन ढीमर ने रकवा 0.045 में 6 प्लाटिंग, पुनिया ढीमर पिता बब्बू ढीमर ने रकवा 0.085 में 5 प्लाटिंग किया है।

पटवारी की हुई अनसुनी

रिपोर्ट के अनुसार नीलेन्द्र तिवारी पिता लल्लू तिवारी ने रकवा 0.133 में 4 प्लाट, राम प्रीत गुप्ता पिता गांगो गुप्ता ने रकवा 0.037 में 2 प्लाट, पप्पू विनोद पिता गंगा ढीमर ने रकवा 0.271 में 5 प्लाटिंग, सोनू यादव पिता रम्फा ने रकवा 0.122 में 5 प्लाटिंग, इशरार अहमद पिता सरफराज अहमद ने रकवा 0.265 में 10 प्लाटिंग, शहंशाह फारूखी पिता बादशाह हुसैन ने रकवा 0.198 में 7 प्लाटिंग की है। यद्यपि इन सभी को पटवारी ने समझाइस दी थी लेकिन उसकी बात अनसुनी करने पर उसने प्रशासन तहसीलदार को भूमियों की स्थिति को दर्शाने वाला प्रतिवेदन दे दिया।

दागदार हुआ आचरण

कोटमा ग्राम में ही एक भूमि ऐसी है जिसमें अवैध प्लाटिंग के मामले में नगरपालिका चेयरमैन व कांग्रेस नेता घनश्याम जयसवाल का नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार घनश्याम दास जायसवाल पिता बंशीलाल ने कोटमा ग्राम में रकवा 0.477 हेक्टर में 10 प्लाटिंग की है। ऐसी रिपोर्ट से जनमानस में सनसनी फैल गई है। साफ सुथरी छबि के नेता भी नियमविरुद्ध आचरण कर दागदार हो रहे हैं।

दोषियों पर हो कार्यवाही

अब तो जिला प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के मामलों को अपने सिर से दूर करने के लिए सितम्बर माह में टाउन एण्ड कंट्री प्लान जैसे विभाग को नियत कर उसे जांच का काम सौंप दिया था, लेकिन इस जांच में क्या हुआ, यह कलेक्टर कार्यालय के गर्भगृह में समाहित हो चुका है, हर रोज संभागीय मुख्यालय से लगे क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक वातानुकूलित कक्षों का लाभ लेने वाले अधिकारी-कर्मचारी कार्यवाही की जगह चुप्पी साधे हुए हैं। जागरूक लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि उक्त मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जाये।

भगवान परशुराम जयंती पर निकलेगी शोभायात्रा

शहडोल। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के अवसर पर 10 मई को संभागीय मुख्यालय के ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। भव्य शोभा यात्रा को लेकर ब्राह्मण समाज के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और भव्य शोभायात्रा के आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ब्राम्हण समाज के जिलाध्यक्ष बालमीक गौतम ने बताया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्वसव एवं अक्षय तृतीया के शुभव अवसर पर शाम 4:30 बजे जयस्तंभ चौक से गांधी चौक, जैन मंदिर होते हुए मोहनराम मंदिर तक भगवान परशुराम की शोभायात्रा निकाली जायेगी। श्री गौतम ने ब्राम्हण समाज के लोगों से अपील की है कि शोभायात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। उक्त कार्यक्रम को शहडोल संभाग के पूर्व कमिश्नर अखिल भारतीय ब्राम्हण एकीकृत परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक राजीव शर्मा संबोधित करेंगे। ब्राम्हण समाज के संभागीय उपाध्यक्ष रविकरण त्रिपाठी, जयकृष्ण तिवारी, जय प्रकाश नारायण गर्ग, ओम नारायण त्रिपाठी, महेन्द्र शुक्ला, राज किशोर शुक्ला ने समाज के विप्रजनों से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में निकलने वाली शोभायात्रा में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें: कमिश्नर

उमरिया। कानून व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिक दण्डाधिकारियों तथा पुलिस का संयुक्त दायित्व है। इसमें जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों की भी सक्रिय भूमिका आवश्यक है। सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करते हुए परिस्थिति के अनुसार संवेदनशीलता के साथ कार्य करें तथा संभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखने की नजीर स्थापित करें। यह निर्देश आयुक्त बीएस जामोद ने संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला दण्डाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ट, कलेक्टर शहडोल तरूण भटनागर, कलेक्टर उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमरिया प्रतिपाल सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इशरार अंसारी, उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल राजेश जैन, अपर कलेक्टर अनूपपुर अमन वैष्णव ,अपर कलेक्टर उमरिया शिव गोविन्द मरकाम, संभाग के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।

पुलिस एवं जिला प्रशासन बेखौफ वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करें: एडीजीपी

शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी.सागर ने कहा कि हम सबको जनहित में कार्य करना है। संभाग में अवैध गतिविधियों का संचालन नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारी अवैध गतिविधियों जैसे रेत एवं कोयले के अवैध उत्खनन, परिवहन, ओवर लोडिंग, कबाड़, सट्टा, जुआ, ड्रग्स, बलात्कार, अपहरण, सायबर क्राईम, पशुओं की अवैध तस्करी, हत्या, माईनर अपराधों के विरूद्ध बेखौफ होकर वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दें। आपने पॉवर पॉईन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से संभाग के तीनों जिलों की कानून व्यवस्था की समीक्षा की तथा सभी अधिकारियों को मिलकर संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

देर से किए गए न्याय का प्रभाव कम हो जाता है: कमिश्नर

संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

उमरिया। देर से किए गए न्याय का प्रभाव कम हो जाता है पक्षकार को समय पर त्वरित न्याय मिले तथा न्यायालय के निर्णय का प्रभावी क्रियान्वयन हो तभी न्याय से प्रभावित व्यक्ति लाभान्वित होता है। संभाग के सभी राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में चल रहे प्रकरणों का समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निराकरण हो। यह निर्देश आयुक्त बी.एस.जामोद ने आयुक्त सभागार में आयोजित शहडोल संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए।कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ट, कलेक्टर शहडोल तरूण भटनागर, कलेक्टर उमरिया धरणेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त राजस्व श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह कनेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल राजेश जैन, अपर कलेक्टर अनूपपुर अमन वैष्णव , अपर कलेक्टर उमरिया शिव गोविन्द मरकाम, संभाग के समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। आयुक्त शहडोल संभाग ने कहा कि राजस्व न्यायालयों का संचालन समय पर निवर्तन तथा पक्षकार को समय पर निर्णय उपलब्ध कराना राजस्व अधिकारियों का मूल दायित्व है। आपने निर्देश दिए कि राजस्व न्यायालयों मे शत प्रतिशत निराकरण ऑनलाईन आरसीएमएस में पंजीकृत हों। प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में हो पक्षकारों को बार-बार न्यायालय के चक्कर नहीं काटना पड़े। एक वर्ष से अधिक समय से राजस्व न्यायालयों में चल रहे सभी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। आपने कहा कि नामान्तरण सीमांकन बटवारा आदि के प्रकरणों तथा दाण्डिक प्रकरणों का निराकण समय पर हो जाए।

दागना कुप्रथा रोकने आयोजित हुआ कार्यक्रम

शहडोल। दागना कुप्रथा रोकने के लिए कलेक्टर तरुण भटनागर के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिले के जनपद पंचायत जयसिंहनगर, ब्यौहारी, बुढार एवं गोहपारू के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के ग्राम गुर्रा एवं रामपुर में महिलाओं को दागना कुप्रथा रोकने हेतु दीवार लेखन, डोर-टू-डोर, नाराकंन, पोस्टर आदि के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को समझाइए दी जा रही है कि बच्चों को दागना कानूनन अपराध है, बच्चों को दागने पर संबंधितों के विरूद्ध 1 लाख रूपये का जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है, यदि कोई बच्चा बीमार होता है तो, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और डॉक्टर की सलाह से उपचार कराएं। मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि छोटे बच्चों को निमोनिया होने पर दागे नही न ही किसी के बहकावे में आकर दागे, दागने से बच्चों के स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। दागना कुप्रथा रोकने हेतु चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं को बच्चों को न दागने हेतु शपथ भी दिलाई गई। जन जागरूकता अभियान में ऑगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, सचिव, रोजगार सहायक, बीएलओ सहित अन्य मैदानी अधिकारी शामिल थें। गौरतलब है कि जिले को दागना मुक्त बनाने हेतु 10 मई 2024 तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

शत प्रतिशत बच्चे विद्यालय आए, शिक्षक करें प्रयासः कमिश्नर

छात्र, अभिभावक एवं समुदाय से समन्वय स्थापित करें शिक्षक

शहडोल। कमिश्नर बीएस जामोद ने संभाग के शिक्षकों से कहा कि शत प्रतिशत बच्चे विद्यालय में उपस्थित हों, शिक्षक इस पर निरंतर एवं परिणाम मूलक कार्य करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों का विद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है। विद्यालय में शत प्रतिशत बच्चे उपस्थित हो, इसके लिए संबंधित विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के बीच जाकर उनसे बात कर समन्वय स्थापित करें एवं उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें। कमिश्नर बीएस जामोद शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर में आयोजित दो दिवसीय उन्मेश प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

पालक को बताये शिक्षा का महत्व

कमिश्नर बीएस जामोद ने शिक्षकों से कहा कि आप इस दो दिवसीय उन्मेश प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त कर शिक्षा के प्रति अपने आप को और मजबूत, सुदृढ़ बनानें एवं प्रेरित करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस उन्मेश प्रशिक्षण के बाद आप जब अपने संबंधित स्कूल के छात्रों के अभिभावकों से मिलेंगे और बात कर हर्षोल्लास के साथ बच्चों को विद्यालय तक लाने में सफल होगें। उन्होनें कहा कि आप अपने विद्यालय के आस-पास के इलाके में भ्रमण करें और देखें की कोई बच्चा अगर पढने योग्य है, फिर भी वह विद्यालय नहीं जाता है तो, उनके पालकों से मिलें और पालक को शिक्षा का महत्व बताएं एवं बच्चें को विद्यालय में प्रवेश दिलाकर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। कमिश्नर श्री जामोद ने कहा कि इस वर्ष संभाग में अनूपपुर को छोडकर उमरिया एवं शहडोल जिले का परीक्षा परिणाम निराशाजनक रहा है। उन्होनें शिक्षकों से कहा इस हमें इस बात को लेकर बैठना नहीं है, हमें इस पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होनें कहा कि हम इस बात को देखें की कहां पर हमसे गलती हुई, हमारे प्रयासों में कहा पर कमी रह गई है, इस पर विश्लेषण कर उन गलतियों को दूर करने के प्रयास करने की जरूरत हैं और आगे से ऐसा प्रयास करें कि इस बात की पुनरावृत्ति न होने पाए। उन्होनें संभाग के शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि संभाग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है, इस पर शिक्षकों के विशेष योगदान की आवश्यकता है। उन्होनें कहा कि शिक्षक पूरी लगन, मेहनत एवं पूर्ण आस्था के साथ बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का प्रयास करें। उन्होनें कहा कि कोई भी छात्र किसी से कम नहीं होता है, किसी भी बच्चे की समझने की क्षमता किसी से कम नहीं होती है। कोई बच्चा खेल, में अच्छा है, कोई साहित्य में, कोई योगा में, कोई वाद्य यंत्र बजाने में, कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा रखता है। शिक्षक छात्रों की रूचि को समझें और रूचि अनुसार छात्रों को आगे बढ़ानें का प्रयास करें।

दो दिवसीय उन्मेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन

नेशनल लोक अदालत में 22 खण्डपीठों के द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण

शहडोल। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 मई को जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा कुल 22 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल में 9 खण्डपीठों, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 05, सिविल न्यायालय बुढ़ार में 05 एवं सिविल न्यायालय जयसिंहनगर में 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय शहडोल में न्यायिक अधिकारीगण क्रमशः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री महेन्द्र कुमार जैन, श्रीमती गीता सोलंकी प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, प्रिवेन्द्र कुमार सेन प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती प्रीति साल्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजय कुमार सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ऋषभ डोंनल सिंह तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सुश्री अपेक्षा पाटीदार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सुश्री दीप्ती चैहान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खण्डपीठ गठित की गई है । सिविल न्यायालय ब्यौहारी में न्यायिक अधिकारीगण निसार अहमद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मो. अनीश खान अति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पुष्पेन्द्र सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सुश्री रानू रिछारिया व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अवनीश चैबे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खण्डपीठ गठित की गई है। सिविल न्यायालय बुढ़ार से न्यायिक अधिकारीगण श्रीमती सुमन उईके अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री विजेन्द्र सिंह रावत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सुश्री आकांक्षा टेकाम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, ऋषभ दीक्षित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड,लक्ष्मण रोहित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खण्डपीठ गठित की गई है। इसी प्रकार सिविल न्यायालय जयसिंहनगर से न्यायिक अधिकारीगण अभिषेक गोयल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती प्रगति मित्रा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, श्रीमती कमला उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की खण्डपीठ गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउन्स के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जायेगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में निम्नानुसार छूट दी जावेगी, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी।

निविदा

समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि हॉट बाजार बैठकी आज दिनांक 09 से आमंत्रित की जाती है, उक्त निविदा 14-15 मई 2024 को खोली जायेगी।

सरपंच ग्राम पंचायत घुनघुटी — सचिव ग्राम पंचायत घुनघुटी

खबर संक्षेप

14 मई को शासकीय आईटीआई उमरिया में कैंपस का आयोजन

उमरिया। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने बताया कि 14 मई को टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबीलिटी एलटीडी सनाडा गुजरात आटोमोबाइल कंपनी द्वारा कैंपस का आयोजन शासकीय आईटीआई उमरिया में प्रातः 10 बजे से किया गया है । कंपनी द्वारा फिटर ट्रेनर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रांनिक्स, टेक्निशियन मेक्ट्रानिक्से, डीएमएम, 12वीं साइंस ग्रुप इत्यादि व्यवसाय मे उत्तीर्ण 18 से 23 वर्श के प्रशिक्षणार्थी कैंपस मे भाग ले सकते है ।

हाइवे पर चार पहिया वाहन भिड़े, चार घायल

उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत गौटिया पेट्रोल पंप के पास हाइवे मार्ग पर चार पहिया वाहनों की भिड़ंत हुई है, इस हादसे मे पिकअप में सवार मोटर मालिक के अलावा तीन अन्य लोगों के घायल हो गये, चिकित्सकों की माने तो सभी घायल खतरे से बाहर है, खबर है कि दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन क्रम एमपी 54 जीए 0782 एवम कार क्रम एमपी 54 सीए 1615 आंशिक क्षतिग्रस्त भी हुई है। इस हादसे में पिकअप मालिक सरमन पिता शरद कुमार महरा उम्र 30 निवासी पठारी खुर्द के साथ तीन अन्य संत कुमार पिता नारायण सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी घंघरी, शिवा पिता रामविशाल चौधरी उम्र 28 निवासी सेमरिया, सुभाष पिता सन्तोष बैगा उम्र 21 निवासी सेमरिया, आंशिक चोटिल है, पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया है।

संभाग स्तरीय मोटीवेशनल शिक्षक प्रशिक्षण उन्मेष पाली में संपन्न

उमरिया। संभाग स्तरीय मोटीवेशनल शिक्षक प्रशिक्षण उन्मेष कार्यक्रम पाली में संपन्न हुई । कार्यशाला के माध्यम से शिक्षको से कहा गया है कि बच्चों की स्कूल मे उपस्थिति बढाए । बच्चो मे रटने की प्रवृत्ति को कम करने तथा सीखने की लालसा को बढाए । विद्यार्थी पर पास होने का दबाव नही बनाएं। शिक्षक नियमित रूप से स्कूथल मे उपस्थित रहकर बच्चों को अध्यापन कार्य कराएं तथा बच्चों को शिक्षा अर्जित करने के दौरान आ रही कठिनाईयों को दूर करें । कार्यशाला में वर्तमान मे पदस्थ शिक्षको की मूल मानसिकता और चुनौतियों को समझने, एक आदर्श एवं संभव शिक्षक , शाला एवं गुणो का विजन तैयार करने सहित अन्यए विषयो पर जानकारी प्रदाय की गई ।

इंदौर ले जाकर किया दुष्कर्म, पीड़िता ने दिया बच्ची को जन्म

उमरिया। जिले में दैहिक शोषण की शिकार एक युवती ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत की है। युवती ने पुलिस को बताया है कि किस प्रकार से काम के बहाने उसे इंदौर ले जाकर लगातार तीन माह तक दो बच्चों का पिता उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। यहां तक कि जैसे ही युवती मां बनने वाली थी तो उसको उसके ही हाल पर इंदौर में छोडक़र घर आ गया। इंदौर में अकेली युवती परेशान होती रही और बड़ी मुश्किल वापस लौट सकी। घटना के बाद किसी तरह से युवती आरोपित के घर पाली थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरदादर पहुंची जहां परिजनों ने पहले युवती पर गर्भपात कराने का दबाव बनाते रहे लेकिन जब पीड़िता नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी बीच पीड़ित युवती ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसको लेकर उसको प्रताड़ित भी किया जाने लगा और एक दिन उसे मारपीट कर घर से भगा दिया गया। इससे युवती के सामने कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। मामला यहीं नहीं रुका घटना को लेकर पीड़िता ने 29 मार्च को पाली थाने का भी दरवाजा खटखटाया मगर पाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत तक नहीं ली और कहा कि अभी जाओ बाद में देख देंगे। आखिर कार पीड़िता आज अपनी दुधमुंही बच्ची के साथ पुलिस अधीक्षक के पास न्याय के लिए पहुंची, जहां एस पी ने तत्काल ही पाली प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाही से बचने लगाये जा रहे जुगाड़

मोबिलाइजर भर्ती मामले में एक दूसरे पर फोड़ रहे ठीकरा

जनपद पंचायत बिरसिंहपुर पाली में हुआ था फर्जीवाड़ा

जनपद पंचायत पाली अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत बेली अंतर्गत की गई मोबिलाइजर की भर्ती में फर्जीवाड़ा किए जाने का खुलासा होते ही सीईओ जिला पंचायत ने 02 मई को जनपद सीईओ से छानबीन समिति के सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए कार्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराना था, जनपद के मुखिया ने जांच समिति के सदस्यों से लिखित में जवाब मांगा, लेकिन वह टाल-मटोल कर रहे हैं।

उमरिया। जिले की जनपद पंचायत बिरसिंहपुर पाली में जनपद स्तरीय समिति के तीनो सदस्य पतरूराम भगत खण्ड पंचायत अधिकारी, मुकेश अवधिया ब्लाक समन्वयक एसबीएम एवं रेवा प्रसाद बैगा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही के लिए जिला पंचायत के मुखिया अभय सिंह ओहरिया ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंचायत पाली को पत्र क्रमांक 280 जारी करते हुए 7 दिवस के भीतर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन अनियमितता के मामले में दोषी प्रतिवेदन देने से बचते नजर आ रहे हैं। जांच समिति द्वारा अभ्यर्थी रंजना यादव को षड्यंत्र पूर्वक लाइन से बाहर कर एक अयोग्य उम्मीदवार को अवसर प्रदान किया गया। इस खेल में तत्कालीन जनपद सीइओ, जांच समिति के सदस्य व कुछ अन्य लोगों ने भूमिका निभाई और जमकर लेनदेन किया गया, लेकिन जिला पंचायत सीइओ ने सही निर्णय लेते हुए सारे दांव पलटा दिए। इसमें केवल कमी इस बात की रह गई कि इस फर्जीवाड़ा में शामिल अभ्यर्थी व उसके सहयोगियों के विरुद्ध आज तक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया।

अपात्र को बनाया पात्र

ग्राम पंचायत बेली जनपद पाली में पैसा एक्ट अंतर्गत ग्राम सभा मोबाइलजर पद के लिए 12 आवेदन पत्र हुए थे। ग्राम पंचायत द्वारा तैयार मैरिट सूची में श्रीमती रंजना यादव पति ब्रज किशोर यादव का नाम प्रथम स्थान पर था। जबकि प्रियंका यादव का नाम छठवें नंबर पर था। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2023 थी। इस तारीख को प्रियंका यादव ने अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में जमा किया। मेरिट सूची सहित सभी आवेदन जनपद पंचायत पाली में दावा आपत्ति निराकरण समिति के समक्ष पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए। जनपद पंचायत पाली के जिम्मेदार कर्मचारियों के द्वारा प्रियंका यादव के आवेदन पत्र में 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई कम्प्यूटर ऑपरेटर कोर्स की अंकसूची संलग्न की गई। फलस्वरूप उनका नाम अंतिम चयन सूची में प्रथम स्थान पर आ गया। बिना इस त्रुटि का अवलोकन किए ही जनपद सीईओ के 13 दिसम्बर 2023 के पत्र क्रमांक 7386 में ग्राम पंचायत बेली द्वारा 10 जनवरी 2024 को श्रीमती प्रियंका यादव का नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया।

पतरूराम भगत का पुराना इतिहास

जनपद पंचायत बिरसिंहपुर पाली में पदस्थ पतरूराम भगत अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, वह खुद को जिला पंचायत के मुखिया से हमेशा ऊपर समझते हैं, बीते वर्षों में

जितनी भी जांच जनपद स्तर से पतरूराम भगत के हिस्से में आई, उनको अगर खंगाला जाये तो, यह भी सामने आयेगा कि कोई भी जांच अंत तक पहुंचने से पहले ही दमतोड़ दी, जांच के बाद शिकायतकर्ताओं को गुमराह करना और शिकायतकर्ताओं से संपर्क न करने के अलावा शिकायत से अपना जुगाड़ बना लेना, यह उनका पुराना इतिहास रहा है, मोबलाईजर भर्ती के दौरान जानबूझकर फर्जीवाड़ा किया, ऐसे कर्मचारियों पर जिला प्रशासन को आगे आकर धोखाधड़ी करने का प्रकरण कायम कराना चाहिए।

यह कहा जिला पंचायत के मुखिया ने

सीइओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया ने 2 मई को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को पत्र जारी किया है, जिसमें उल्लेख है कि श्रीमती रंजना यादव पति ब्रज किशोर यादव निवासी ग्राम बेली पोस्ट पाली की शिकायत जांच प्रतिवेदन अनुसार सही पायी गई। जांच में पाया गया कि पंचायत बेली में मोबिलाईजर भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2023 तक थी। श्रीमती प्रियंका यादव के आवेदन पत्र में 05 अक्टूबर 2023 को जारी कूटरचित दस्तावेज संलग्न कर श्रीमती प्रियंका यादव को वरियता सूची में प्रथम स्थान पर लाकर नियुक्ति पत्र जारी कराया गया। फलस्वरूप श्रीमती प्रियंका यादव को जारी नियुक्ति पत्र निरस्त किया जाकर आवेदिका श्रीमती रंजना यादव को नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी कराया जावे। साथ ही जनपद स्तर से नियत छानबीन समिति के सभी सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन 7 दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

...तो क्या सीईओ हैं दोषी

सीइओ जिला पंचायत ने नियुक्ति निरस्त कराने और पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश तो दिया लेकिन धोखाधड़ी में लिप्त दावा आपत्ति छानबीन समिति के सदस्यों का दावा है कि उन्हें तत्कालीन सीईओ द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच समिति को दिये गये, जिसके बाद आगे की कार्यवाही हुई, वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुंवर कन्हाई का कहना कि यह हमारे कार्यकाल नहीं है, दूसरी ओर जांच समिति द्वारा जवाब न देने के बावजूद यह कहा जा रहा है कि हमने जनपद में जवाब प्रस्तुत कर दिया है, मजे की बात तो यह है कि जांच समिति के सदस्य पतरूराम भगत जनपद पंचायत के मुखिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीईओ खुद को इस भर्ती मामले से अलग बता रहे हैं।

इनका कहना है...

हमने प्रतिवेदन दे दिया है, सीईओ साहब के दस्तावेज देने के बाद हमने आगे की कार्यवाही की। इस मामले में हमारा कोई दोष नहीं है।

पतरूराम भगत
खण्ड पंचायत अधिकारी
जनपद पंचायत, बिरसिंहपुर पाली

हमें प्रतिवेदन नहीं मिला है, रही बात भर्ती की तो, भर्ती पंचायत को करनी थी और छानबीन समिति अलग बनी थी। भर्ती के दौरान में जनपद में पदस्थ नहीं था।

कुंवर कन्हाई
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बिरसिंहपुर पाली

युवाओं को लाला धकेल रहा कोरेक्स और टेबलेट की ओर

धड़ल्ले से चल रहा है नशे का कारोबार

नौरोजाबाद। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर नशे के कारोबार में प्रतिबंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, अपराध को बढ़ावा देने का काम नशा के चलते ही होता है नशे में आदमी किसी भी अपराध को अंजाम दे देता है लेकिन जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत नशे के कारोबार में अंकुर लगाते हुए नजर नहीं आ रहा है नगर में देखा जा रहा है कि लाला नामक व्यक्ति के द्वारा नशे का व्यापार खुले आम किया जा रहा है जिसमें ना तो पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। नगर के 5 नंबर कालोनी के धक्का मोहले और आर सी एस स्कूल के पास से प्रतिबंध कोरेक्स की सप्लाई किया जा रहा जा रहा है।

लाला के पास नशा के दीवाने

नगर नौरोजाबाद सहित बिरसिंहपुर पाली, पाली प्रोजेक्ट, विंध्या कॉलोनी, के आसपास क्षेत्र में धड़ल्ले से कई महीनों से लाला के द्वारा प्रतिबंध कफ सिरप कोरेक्स और टेबलेट गोली की सप्लाई युवाओं को धड़ल्ले से कर रहा है, लाला धक्का मोहले में बैठ के युवाओं को नशा पहुंचाने का काम करता है, लाला और 3 गुना पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहा है, पुलिस के डर के उनके नजरों से बच के कही बंद स्कूल का सहारा लिया है तो, कहीं जंगलों में अपना अड्डा बना कर रखा है, लाला आपके अड्डे पर कोरेक्स और नशीली गोली रखा रहता है और वहां से निकालकर लोगों को उपलब्ध कराने का काम करता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है, रात दिन उसका यही काम है और उसके साथ नशा करने वाले कई युवा उसका साथ देते है।

400 से 450 लेकर 500 तक बिकती है कोरेक्स

सूत्रों की माने तो लाला भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप और टेबलेट लेकर आता है जो कि बिरसिंहपुर पाली, पाली प्रोजेक्ट, विंध्या कॉलोनी, नौरोजाबाद, घुलघुली, आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लाला का काफी बोलबाला है, प्रतिदिन लोग इस आदमी से संपर्क कर कोरेक्स लेने आते हैं, जहां बुलाता है लोग वहां चल कर जाते है, प्रतिदिन इसका सेवन करने वाले युवक के पास इतना पैसा कहा से पाए की , अपना नशा पूरा कर ले कम पैसा रहने पर इनके द्वारा टेबलेट गोली लिया जाता है और उसे अपनी नशा की पूर्ति करते हैं, नशा के इतने आदि हो गए हैं। युवा कि कोई ना कोई गलत दिशा में जा कर काम करने को मजबूर होते हैं, जिससे कि इनका नशा पूरा हो सके।

स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव

नशे के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति को चिंता, डिप्रेशन, और अवसाद में डाल सकता है और संबंधों, परिवार, और करियर में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशे के सेवन से सामाजिक समाज में भी दुर्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। यह व्यक्ति को अपने समाजिक संबंधों से अलग कर सकता है, उसका परिवार और समाजिक समूहों में बुरा प्रतिष्ठा प्राप्त करवा सकता है। इस प्रकार, नशे का सेवन न केवल व्यक्ति की आत्मा को हानि पहुंचाता है, बल्कि उसके परिवार, समाज, और समूचे समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए, नशे के सेवन से बचना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि हम स्वस्थ, समृद्ध, और समाज में सकारात्मक योगदान कर सकें।

ठेकेदार-बनाम माफिया को मिला प्रशासनिक संरक्षण

शासकीय निर्माण कार्य में खप रहा चोरी का खनिज

उमरिया। वर्तमान में शासकीय निर्माण में चोरी का खनिज खपाना अब चलन सा हो गया है, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ठेकेदार माफिया की तर्ज पर बगैर रॉयल्टी खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान में जिले के बिरसिंहपुर पाली में नगर पालिका से स्वीकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें चोरी के खनिज के उपयोग होने के चर्चा जमकर हो रही है, इस मामले में खनिज विभाग से लेकर नगर पालिका परिषद में बैठे जिम्मेदारों को भी अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए है, एक ओर जिले के मुखिया अवैध-उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने की बातें बैठकों में करते हैं, मजे की बात तो यह है कि शासकीय निर्माण कार्यो में ही चोरी का खनिज खप रहा है। जिला प्रशासन अगर चाहे तो नगर पालिका परिषद बिरसिंहपुर पाली में हो रहे निर्माण में उपयोग हुए खनिज की रॉयल्टी ठेकेदार से मांग ले, पूरा मामला साफ हो जायेगा।

खुद की रोटी सेक रहा बंटी

बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 3 करोड़ 84 लाख रूपये की लागत से बजट स्वीकृत हुआ है। जिसके अंतर्गत 2 सडक़, 1 कार्यालय, 1 ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाना है। उक्त निर्माण का ठेका किसी सतीश गुप्ता को मिला है, लेकिन इसके पीछे बंटी नामक व्यक्ति अपनी रोटी सेंक रहा है, निर्माण शुरू होने से पूर्व निर्माण स्थल पर प्राक्कलन बोर्ड के प्रावधान है, लेकिन नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों से मिलकर खुलकर नियमों को रौंदा जा रहा है, खबर है कि बीते दिनो निर्माण कार्य के दौरान मजदूर को चोट भी आई, इससे यह भी साबित होता है कि मजदूरों के सुरक्षा के कोई इंतजाम ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 15 दफाई कालोनी में 92 लाख की लागत से सीसी सडक़ का निर्माण हो रहा है, जहां बीते दिनों चोरी की मुरूम खपाने की चर्चा किसी से छुपी नहीं है, खनिज विभाग कलेक्टर के अवैध उत्खनन रोकने के आदेश के प्रति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।

ठेकेदार को प्रशासनिक संरक्षण

ठेकेदार सतीश पर बिरसिंहपुर पाली की नगर पालिका परिषद इतनी मेहरबान है कि बीते दिनों जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से रॉयल्टी के संबंध में बात की गई तो, उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद रॉयल्टी ठेकेदार जमा कर देगा, प्राक्कलन बोर्ड के लिए उपयंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, वार्ड नंबर 15 दफाई कालोनी में सीसी सडक़ के निर्माण में अब तक जितनी भी मुरूम का उपयोग हुआ है, वह बगैर रॉयल्टी के ही उत्खनन किया गया है, बावजूद इसके न तो नगर पालिका के जिम्मेदार और न ही खनिज विभाग में बैठे जिम्मेदार इसे गंभीरता से ले रहे हैं, ठेकेदार द्वारा प्रशासिनक संरक्षण पाकर खुलेआम अवैध उत्खनन कराकर मुरूम का उपयोग कर चुका है। जागरूक लोगों ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले में अलग से दल गठित कर जांच कराये, जिससे अवैध उत्खनन पर अंकुश लग सके।

अग्निपथ योजना के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

उमरिया। शासकीय महाविद्यालय उमरिया के स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ अंतर्गत अग्निवीर भर्ती हेतु विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ सी. बी. सोदिया द्वारा की गई। प्रकोष्ठ प्रभारी सुश्री हेमलता लोक्श ने अग्निवीर भर्ती के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सह संयोजक ऋषिराज पुरवार ने बताया कि अग्निपथ योजना के द्वारा युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने का अवसर दिया जाएगा एवं उम्मीदवारों की आयु 17 वर्ष 6 माह से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अग्निवीर भर्ती योजना के विभिन्न चरणों, जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षा, मेडिकल व ऑनलाइन आवेदन आदि के विषय में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना एवं सशस्त्र बलों की भर्तियों के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना था। जानकारी हेतु विद्यार्थियों को पंपलेट वितरित किए गए। उक्त कार्यक्रम में डॉ रमेश प्रसाद कोल , डॉ विमला मरावी, डॉ सोना पाठक, डॉ कीर्ति तिवारी, व समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित हुए।

परशुराम जन्मोत्सव को लेकर शिव सागरधाम में बैठक संपन्न

कोतमा। भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ शुक्रवार को मनाई जाएगी। पुरानी बस्ती शिव सागर धाम मंदिर में दोपहर 3 बजे से भगवान परशुराम का पूजन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। शाम 5 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के प्रमुख मार्ग में भ्रमण करते हुए वापस शिवसागर धाम मंदिर पहुंचेगी। शाम 7:30 बजे से शिव सागर धाम मंदिर में भजन संध्या एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। रात्रि 9 बजे से मंदिर परिसर में अक्षय तृतीया के अवसर पर गुड्डा गुड़ियों का विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। सर्व ब्राह्मण समाज ने सभी विप्र बंधुओ से समय पर शिवसागर धाम मंदिर पहुंचकर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए भगवान परशुराम के शोभायात्रा में शामिल होने की अपील की है। कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 10 कुदरी टोला निवासी बड़ी बहन चित्रा ने गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज करवाई की उसकी छोटी बहन रागिनी कोल 19 बर्ष बुधवार को दोपहर में घर से बाजार जाने को कह कर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। काफी पता तलाश करने के बाद कहीं पता नहीं चला। शिकायत पर पुलिस ने गुम इंसान का मामला दर्ज करते हुए विवेचना में लिया।

लकड़ी के अवैध परिवहन पर वन विभाग ने जप्त किया वाहन

कोतमा। अवैध उत्खनन परिवहन एवं अवैध वनअपराधो पर लगाम लगाने वन विभाग के द्वारा अभियान चलाते हुए कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत एस टी एफ टीम दक्षिण शहडोल एवं वनपरिक्षेत्र कोतमा की संयुक्त टीम द्वारा वनपरिक्षेत्र कोतमा अंतर्गत बीट सकोला की रात्रिकालीन गस्ती के दौरान 8-9 अप्रैल की दरमियानी रात को एक नीलगिरी लकडी लोड वाहन अवैध परिवहन करने के दौरान पकडा गया है।वाहन 709 मिनी ट्रक वाहन क्रमांक एमपी 18 जीए 2970 वाहन चालक गंगाराम चौरसिया निवासी ग्राम केल्हौरी वाहन मालिक श्रीमती संध्या मिश्रा पति गिरीश मिश्रा निवासी ग्राम बरगवां जिला अनूपपुर बताया गया। वाहन की जप्ती कर वाहन फारेस्ट कैम्पस कोतमा में लाकर खडा कराया गया है। अवैध परिवहन के तहत कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही मे हरीश तिवारी वन परिक्षेत्राधिकारी कोतमा, एके निगम उपवनक्षेत्रपाल, एस टी एफ प्रभारी कमला वर्मा पस बुढार, जेपी मौर्य, वनरक्षक आकाश सोनी शिवप्रसाद सिंह, सुरेश प्रसाद, बीट गार्ड बिहारी लाल रजक, राघवेन्द्र तिवारी, आकाश सोनी एवं रूपशाह बैगा वाहन चालक शामिल थे।

भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर निकलेगी भव्य शोभायात्रा

अनूपपुर। ब्राह्मण समाज सेवा समिति अनूपपुर के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष रामप्रकाश द्विवेदी से जानकारी देते हुए बताया कि भगवान परशुराम जी के प्रगटोत्सव कार्यक्रम भव्य शोभायात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वर्ष शोभायात्रा शिवमारुति मंदिर सामतपुर से ठीक 03.30 बजे प्रारंभ हो जाएगी शोभायात्रा के लिए झांकी बनकर तैयार है जिसे शहर के प्रमुख मार्ग बस स्टैंड से होते हुए नगरपालिका कार्यालय के पास होते हुए रेलवे स्टेशन राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत शोभायात्रा सीधे मेन रोड रेलवे अंडरब्रिज होते हुए इन्द्रातिराहा से शंकर मंदिर रोड़ से सीधे बूढ़ी माई मंदिर बस्ती से आर्शीवाद मैरिज गार्डन वार्ड क्रमांक -13 अमरकंटक तिराहा में प्रवचन संगीतमय कार्यक्रम राघव जी महाराज, श्री धाम वृन्दावन के मुखारबिंद से संगीतमय अमृतवाणी होगी, तत्पश्चात विशाल भंडारा एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में जिले के सभी तहसील कोतमा, जैतहरी, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सम्मलित होंगे। कार्यक्रम की रूप रेखा महामंत्री अनिल तिवारी ने देते हुए बताया कि इस बार सभी पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग पीले कुर्ता धोती एवं पीली साड़ी में कार्यक्रम में सपरिवार सम्मलित होंगे।

घड़ा देते हुए महाप्रबंधक कार्यालय में एच एम एस, जमुना कोतमा क्षेत्र की आई आर बैठक संपन्न हुई

जमुना/बदरा। 8 मई को महाप्रबंधक कार्यालय सभागार में एचएमएस, जमुना कोतमा क्षेत्र की आई आर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भ्रष्टाचार में लिफ्ट महाप्रबंधक संचालन की अनुपस्थिति में निरंजन मिश्रा सर उप क्षेत्रिय प्रबंधक, कोतमा गोविंदा उप क्षेत्र द्वारा की गई। बैठक में सभी उप क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय श्री कांत शुक्ला महामंत्री रमाशंकर तिवारी आईआर प्रभारी विक्रम प्रसाद, क्षेत्रीय पदाधिकारी एवं सभी इकाइयों के अध्यक्ष सचिव, अन्य पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित रहे। श्रीकांत शुक्ला द्वारा सर्व प्रथम क्षेत्र की सभी खदानों और अन्य इकाइयों में पीने के पानी की ज्वलंत समस्या का मुद्दा उठाया गया जिसके उत्तर में प्रबंधन द्वारा 24 से 48 घंटे के अंदर सभी जगहों पर वैकल्पिक एवं स्थाई व्यवस्था का आश्वासन दिया गया। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उप क्षेत्रीय प्रबंधक महोदयों को एवं सभी विभागाध्यक्ष को एक एक घड़ा इकाइयों के पदाधिकारियों द्वारा प्रदान करवाया गया, जिससे प्रबंधन को पीने के पानी की समस्या को गंभीरता से लिया जाए अन्य मुद्दों के संदर्भ में चर्चा करने पर प्रबंधन द्वारा सात दिवस के अंदर निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। श्री मिश्रा द्वारा व्हीटी सेंटर में पंखों और एसी का मुद्दा उठाया गया परंतु प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदय शुक्ला द्वारा आगामी बैठक में इस मुद्दे पर प्रबंधन द्वारा इसका जवाब मांगा गया है। आगामी बैठक सात दिवस के बाद रखे जाने के प्रबंधन के आश्वासन के बाद अध्यक्ष शुक्ला द्वारा सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में बैठक समापन की घोषणा की गई।

खबर संक्षेप

अनुसूचित जाति के 9286 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

रीवा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। रीवा संभाग में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 9286 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इनमें से 8513 आवेदन पत्र निराकृत कर दिए गए हैं। एनपीसीआई पोर्टल बंद होने के कारण 773 आवेदन पत्र अभी भी लंबित हैं। रीवा जिले में कुल 3292 छात्रवृत्ति के आवेदन दर्ज किए गए। इनमे से 2989 का निराकरण हो गया है। सतना जिले में दर्ज 3505 आवेदनों में से 3347 तथा सीधी जिले में दर्ज 1829 आवेदनों में से 1764 निराकृत हो गए हैं। सिंगरौली जिले में अनुसूचित जाति के 660 विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से 413 निराकृत कर दिए गए हैं। शेष 247 आवेदन पत्रों को पोर्टल के एक्टिव होने के बाद निराकृत किया जाएगा।

अन्य पिछड़ावर्ग के 19650 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

रीवा। शासन द्वारा अन्य पिछड़ावर्ग के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। रीवा संभाग में वर्ष 2023-24 में अन्य पिछड़ावर्ग के के 19650 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14886 आवेदन पत्र निराकृत कर दिए गए हैं। एनपीसीआई पोर्टल बंद होने के कारण 4764 आवेदन पत्र अभी भी लंबित हैं। रीवा जिले में कुल 5215 छात्रवृत्ति के आवेदन दर्ज किए गए। इनमे से 5129 का निराकरण हो गया है। सतना जिले में दर्ज 7205 आवेदनों में से 5504 तथा सीधी जिले में दर्ज 5090 आवेदनों में से 2551 निराकृत हो गए हैं। सिंगरौली जिले में अन्य पिछड़ावर्ग के 2140 विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से 1702 निराकृत कर दिए गए हैं। शेष 438 आवेदन पत्रों को पोर्टल के एक्टिव होने के बाद निराकृत किया जाएगा।

14 मई को शासकीय आईटीआई उमरिया में कैंपस का आयोजन

उमरिया। प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने बताया कि 14 मई को टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक मोबीलिटी एलटीडी सनाडा गुजरात आटोमोबाइल कंपनी द्वारा कैंपस का आयोजन शासकीय आईटीआई उमरिया में प्रातः 10 बजे से किया गया है । कंपनी द्वारा फिटर ट्रेनर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रांनिक्स, टेक्निशियन मेक्ट्रानिक्से, डीएमएम, 12वीं साइंस ग्रुप इत्यादि व्यवसाय मे उत्तीर्ण 18 से 23 वर्ष के प्रशिक्षणार्थी कैंपस मे भाग ले सकते है ।

हाइवे पर चार पहिया वाहन भिड़े, चार घायल

उमरिया। कोतवाली थाना अंतर्गत गौटिया पेट्रोल पंप के पास हाइवे मार्ग पर चार पहिया वाहनों की भिड़ंत हुई है, इस हादसे मे पिकअप में सवार मोटर मालिक के अलावा तीन अन्य लोगों के घायल हो गये, चिकित्सकों की माने तो सभी घायल खतरे से बाहर है, खबर है कि दुर्घटना में शामिल पिकअप वाहन क्रम एमपी 54 जीए 0782 एवम कार क्रम एमपी 54 सीए 1615 आंशिक क्षतिग्रस्त भी हुई है। इस हादसे में पिकअप मालिक सरमन पिता शरद कुमार महरा उम्र 30 निवासी पठारी खुर्द के साथ तीन अन्य संत कुमार पिता नारायण सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी घंघरी, शिवा पिता रामविशाल चौधरी उम्र 28 निवासी सेमरिया, सुभाष पिता सन्तोष बैगा उम्र 21 निवासी सेमरिया, आंशिक चोटिल है, पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना में लिया है।

संभाग स्तरीय मोटीवेशनल शिक्षक प्रशिक्षण उन्मेष पाली में संपन्न

उमरिया। संभाग स्तरीय मोटीवेशनल शिक्षक प्रशिक्षण उन्मेष कार्यक्रम पाली में संपन्न हुई । कार्यशाला के माध्यम से शिक्षको से कहा गया है कि बच्चों की स्कूल मे उपस्थिति बढाए । बच्चो मे रटने की प्रवृत्ति को कम करने तथा सीखने की लालसा को बढाए ।

कहां से मिला अवैध हथियार ऐसे तमाम विषयों पर पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कर रही पूछताछ

मॉल के बाहर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी सहित दो अन्य गिरफ्तार

रीवा

जिले में समान थाना अंतर्गत वी2 मॉल के बाहर हुए गोलीकांड फरार चल रहे तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 22.04.24 को फरियादी हर्ष दुवे निवासी दुरौध हाल के.के. पाण्डेय नर्सिंग होम के पीछे आदर्श नगर रीवा व्दारा थाना समान मे सूचना दिया कि 22 तारीख की शाम लगभग 07.00 बजे अपने दोस्त अभिषेक पाण्डेय एवं अंकित पटेल के साथ V2 मॉल कपडे खरीदने गया था। जहा मॉल से बाहर निकले इतने मे रोशन गुप्ता उर्फ राक्स अपने साथियो के साथ आकर मुझे जान से मार डालने की नियत से पिस्टल से मेरे तरफ निशाना साधकर फायर कर दिया जो गोली मॉल के बाहर मेरे बगल मे खडे मोबाईल पर बात कर रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिनेश कुमार तिवारी निवासी नेहरू नगर के सीने के पास गोली लगी। गोली चलाने के बाद वह तीनो लोग मोटर सायकल से भाग गये । फरि. की सूचना पर पुलिस ने अपराध क्र. 157/24 धारा 307,34 ताहि. 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की सघन विवेचना प्रारंभ कर दी।गोली चलने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना समान पुलिस व्दारा मौके पर पहुंचकर घायल दिनेश कुमार तिवारी जिनके सीने में गोली लगी थी उपचार हेतु तुरन्त अस्पताल रीवा मे भर्ती कराया गया था तभी एवं गोली चलाने वाले आरापियो की पता तलास प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान तीनो आरोपियो की पता तलाश हेतु प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर विशेष टीम गठित कर रीवा सहित इन्दौर, पीथमपुर, सतना एवं दिल्ली भेजकर लगातार पता तलाश हेतु दबिश दी जा रही थी। पुलिस को मुखबिर व्दारा सूचना मिलने पर दिनांक 09.05.24 को आरोपी रोशन गुप्ता उर्फ राक्स पिता स्व विकास गुप्ता उम्र 21 वर्ष निवासी अमहिया व अनुज दुबे पिता अर्जुन दुबे उम्र 20 वर्ष निवासी पुरानी पोखरी टोला राम निरंजन नगर थाना सामान सहित सुजल मिश्रा पिता राजगोपाल मिश्रा उम्र 19 वर्ष निवासी बांसघाट थाना सिविल लाइन को गिरफ्तार किया वही आरोपीगणो व्दारा पूछताछ पर दिनांक 22.04.24 को घटना किया जाना स्वीकार किया गया। समान पुलिस घटना में प्रयुक्त पिस्टल व मोटर सायकल की बरामदगी हेतु न्यायालय से आरोपीगणो का तीन दिन का पुलिस रिमान्ड लिया है। पुलिस आरोपी गणो से बारीकी से पूछताछ कर रही है वही उपरोक्त अपराध के संबंध में अन्य जानकारी एकत्र मे जुटी है।सामन पुलिस आरोपियो को फरारी के दौरान संरक्षण देने वाले व्यक्तियो की पहचान के साथ आरोपिये से इस संबंध मे भी पूछताछ कर रही गई कि उन्हे पिस्टल एवं राउन्ड कहां से मिली इसमें कितने बदमाश शमिल है गोलीकांड के मुख्यआरोपी रोशन गुप्ता उर्फ राक्स के जिला रीवा के विभिन्न थानो में कुल 15 अपराध दर्ज है एवं आरोपी अनुज दुबे के जिला रीवा के विभिन्न थानो में कुल 11 अपराध दर्ज है।

तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

रीवा

जिले मे भीषण गर्मी से जूझ रहे जिला वासियों को गुरुवार को राहत मिली। दोपहर तीन बजे के बाद मौसम बदला और आसमान में बादल छा गया। इसके बाद तेज रफ्तार हवा और आंधी चलने लगी जिससे अफरातफरी मच गई । शहर से लेकर गांव तक तेज आंधी का कहर जारी रहा। इसके बाद आधा घंटा तक झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इससे पहले दिनभर गर्मी एवं उमस से लोग व्याकुल रहे। बुधवार को रिकार्ड तापमान 42 डिग्री पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री पर बना हुआ है। पिछले कई दिनों से खिल रही कड़ी धूप गुरूवार को धूमिल पड़ गई लेकिन गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली है। तेज आंधी के दौरान शहर सहित ग्रामीण अंचलों में जगह-जगह विद्युत पोल और पेड़ सड़कों पर गिर पड़ा। इससे पूरे जिले में आपूर्ति कई घंटो तक बाधित हो रही । वही वार्ड क्रमांक 11 इंदिरा नगर में किरण ज्योति स्कूल के पीछे सड़क में खड़ी चार पहिया वाहन के ऊपर एक विशाल नीम का पेड़ गिर गया जिस कारण वाहन पूर्णता क्षतिग्रस्त हो गया।

अनुसूचित जनजाति के 5684 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

रीवा। शासन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। रीवा संभाग में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति के 5684 विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए आवेदन पत्र दर्ज किए गए हैं। इनमें से 4964 आवेदन पत्र निराकृत कर दिए गए हैं। एनपीसीआई पोर्टल बंद होने के कारण 720 आवेदन पत्र अभी भी लंबित हैं। रीवा जिले में कुल 1050 छात्रवृत्ति के आवेदन दर्ज किए गए। इनमे से 929 का निराकरण हो गया है। सतना जिले में दर्ज 954 आवेदनों में से 858 तथा सीधी जिले में दर्ज 2665 आवेदनों में से 2474 निराकृत हो गए हैं। सिंगरौली जिले में अनुसूचित जनजाति के 1015 विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है। इनमें से 703 निराकृत कर दिए गए हैं। शेष 312 आवेदन पत्रों को पोर्टल के एक्टिव होने के बाद निराकृत किया जाएगा।

पचपहरा में युवा साथियों के सहयोग से भैरवनाथ मंदिर का किया जा रहा जीर्णोद्धार

रीवा । जिले मनगवां तहसील अंतर्गत ग्राम पचपहरा मढ़ी कला में रवि मिश्रा के मार्गदर्शन में सिद्ध बाबा भैरवनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जिसमे जिवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र मिश्र के साथ कई युवा साथियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। युवा साथी जिवेन्द्र सिंह ने बताया कि मंदिर बहुत पुराना है जो आस पास रहने वाले लोगो के लिए आस्था का केंद्र था। आसपास के लोगो के साथ साथ कई शहरों के लोग अपनी मान्यताएं लेकर आते है। और उनकी मान्यताएं पूर्ण होती थी। ऐसा कहा जाता है लेकिन मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। जिसमे श्रद्धालुओ को डर बना रहता था। लोगो के आस्था को देखते हुए पचपहरा के युवा साथियों के सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर सके। इस सराहनीय कार्य की चारो ओर प्रशंसा हो रही है।

नगर निगम की आईईसी टीम द्वारा चलाया गया गीले कचरे से खाद बनाने का आभियान

रीवा

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देशानुसार नगर निगम की आईईसी टीम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में होम कपोस्टिंग आभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से घरों से निकलने वाले गीले कचरे से नागरिकों को खाद बनाने के विधि के बारे में जानकारी दी गई साथ ही नागरिकों को बताया गया कि जो आप के घर से गीला कचरा निकलता है जैसे फल, फूल एवं सब्जी के छिलके आदि से आसानी से घर में ही खाद बनाया जा सकता है एवं खाद का उपयोग हम अपने घरों के बाग बगीचे में कर सकतें है इसके साथ ही उनको यह भी बताया गया कि अपने घर पर ही गीले कचरे से खाद बनाकर आप कैसे अपने घर का कचरा कम कर सकते है। आज रीवा शहर के कई ऐसे वॉर्ड है जो इस सुनहरे प्रयास से घरों पर ही खाद बनाते है और बाजार में बेचते है नगर निगम के इस प्रयास से कई लोगो को रोजगार का साधन मिला है। शहरवासियों के सहयोग से रीवा शहर स्वच्छ और सुन्दर बनेगा एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रीवा शहर उच्चतम स्थान अर्जित करने का गौरव प्राप्त करेगा।

युवाओं को लाला धकेल रहा कोरेक्स और टेबलेट की ओर

धड़ल्ले से चल रहा है नशे का कारोबार

नौरोजाबाद। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर नशे के कारोबार में प्रतिबंध लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, अपराध को बढ़ावा देने का काम नशा के चलते ही होता है नशे में आदमी किसी भी अपराध को अंजाम दे देता है लेकिन जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत नशे के कारोबार में अंकुर लगाते हुए नजर नहीं आ रहा है नगर में देखा जा रहा है कि लाला नामक व्यक्ति के द्वारा नशे का व्यापार खुले आम किया जा रहा है जिसमें ना तो पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है। नगर के 5 नंबर कालोनी के धक्का मोहले और आर सी एस स्कूल के पास से प्रतिबंध कोरेक्स की सप्लाई किया जा रहा जा रहा है।

लाला के पास नशा के दीवाने

नगर नौरोजाबाद सहित बिरसिंहपुर पाली, पाली प्रोजेक्ट, विंध्या कॉलोनी, के आसपास क्षेत्र में धड़ल्ले से कई महीनों से लाला के द्वारा प्रतिबंध कफ सिरप कोरेक्स और टेबलेट गोली की सप्लाई युवाओं को धड़ल्ले से कर रहा है, लाला धक्का मोहले में बैठ के युवाओं को नशा पहुंचाने का काम करता है, लाला और 3 गुना पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम कर रहा है, पुलिस के डर के उनके नजरों से बच के कही बंद स्कूल का सहारा लिया है तो, कहीं जंगलों में अपना अड्डा बना कर रखा है, लाला आपके अड्डे पर कोरेक्स और नशीली गोली रखा रहता है और वहां से निकालकर लोगों को उपलब्ध कराने का काम करता रहता है, उसका और कोई काम नहीं है, रात दिन उसका यही काम है और उसके साथ नशा करने वाले कई युवा उसका साथ देते है।

400 से 450 लेकर 500 तक बिकती है कोरेक्स

सूत्रों की माने तो लाला भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप और टेबलेट लेकर आता है जो कि बिरसिंहपुर पाली, पाली प्रोजेक्ट, विंध्या कॉलोनी, नौरोजाबाद, घुलघुली, आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लाला का काफी बोलबाला है, प्रतिदिन लोग इस आदमी से संपर्क कर कोरेक्स लेने आते हैं, जहां बुलाता है लोग वहां चल कर जाते है, प्रतिदिन इसका सेवन करने वाले युवक के पास इतना पैसा कहा से पाए की , अपना नशा पूरा कर ले कम पैसा रहने पर इनके द्वारा टेबलेट गोली लिया जाता है और उसे अपनी नशा की पूर्ति करते हैं, नशा के इतने आदि हो गए हैं। युवा कि कोई ना कोई गलत दिशा में जा कर काम करने को मजबूर होते हैं, जिससे कि इनका नशा पूरा हो सके।

स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव

नशे के सेवन से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति को चिंता, डिप्रेशन, और अवसाद में डाल सकता है और संबंधों, परिवार, और करियर में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशे के सेवन से सामाजिक समाज में भी दुर्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। यह व्यक्ति को अपने समाजिक संबंधों से अलग कर सकता है, उसका परिवार और समाजिक समूहों में बुरा प्रतिष्ठा प्राप्त करवा सकता है। इस प्रकार, नशे का सेवन न केवल व्यक्ति की आत्मा को हानि पहुंचाता है, बल्कि उसके परिवार, समाज, और समूचे समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए, नशे के सेवन से बचना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि हम स्वस्थ, समृद्ध, और समाज में सकारात्मक योगदान कर सकें।

ठेकेदार-बनाम माफिया को मिला प्रशासनिक संरक्षण

शासकीय निर्माण कार्य में खप रहा चोरी का खनिज

उमरिया। वर्तमान में शासकीय निर्माण में चोरी का खनिज खपाना अब चलन सा हो गया है, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों से सांठ-गांठ कर ठेकेदार माफिया की तर्ज पर बगैर रॉयल्टी खनिज संपदा का उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान में जिले के बिरसिंहपुर पाली में नगर पालिका से स्वीकृत निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें चोरी के खनिज के उपयोग होने के चर्चा जमकर हो रही है, इस मामले में खनिज विभाग से लेकर नगर पालिका परिषद में बैठे जिम्मेदारों को भी अवगत कराया जा चुका है, बावजूद इसके जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए है, एक ओर जिले के मुखिया अवैध-उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने की बातें बैठकों में करते हैं, मजे की बात तो यह है कि शासकीय निर्माण कार्यो में ही चोरी का खनिज खप रहा है। जिला प्रशासन अगर चाहे तो नगर पालिका परिषद बिरसिंहपुर पाली में हो रहे।

खुद की रोटी सेक रहा बंटी

बिरसिंहपुर पाली नगर पालिका परिषद में मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 3 करोड़ 84 लाख रूपये की लागत से बजट स्वीकृत हुआ है। जिसके अंतर्गत 2 सडक, 1 कार्यालय, 1 ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाना है। उक्त निर्माण का ठेका किसी सतीश गुप्ता को मिला है, लेकिन इसके पीछे बंटी नामक व्यक्ति अपनी रोटी सेंक रहा है, निर्माण शुरू होने से पूर्व निर्माण स्थल पर प्राक्कलन बोर्ड के प्रावधान है, लेकिन नगर पालिका परिषद के जिम्मेदारों से मिलकर खुलकर नियमों को रौंदा जा रहा है, खबर है कि बीते दिनो निर्माण कार्य के दौरान मजदूर को चोट भी आई, इससे यह भी साबित होता है कि मजदूरों के सुरक्षा के कोई इंतजाम ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। वार्ड नंबर 15 दफाई कालोनी में 92 लाख की लागत से सीसी सडक का निर्माण हो रहा है, जहां बीते दिनों चोरी की मुरूम खपाने की चर्चा किसी से छुपी नहीं है, खनिज विभाग कलेक्टर के अवैध उत्खनन रोकने के आदेश के प्रति कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।

ठेकेदार को प्रशासनिक संरक्षण

ठेकेदार सतीश पर बिरसिंहपुर पाली की नगर पालिका परिषद इतनी मेहरबान है कि बीते दिनों जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से रॉयल्टी के संबंध में बात की गई तो, उन्होंने कहा कि निर्माण के बाद रॉयल्टी ठेकेदार जमा कर देगा, प्राक्कलन बोर्ड के लिए उपयंत्री ने तो स्पष्ट कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, वार्ड नंबर 15 दफाई कालोनी में सीसी सडक के निर्माण में अब तक जितनी भी मुरूम का उपयोग हुआ है, वह बगैर रॉयल्टी के ही उत्खनन किया गया है।

अग्निपथ योजना के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

उमरिया। शासकीय महाविद्यालय उमरिया के स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ अंतर्गत अग्निवीर भर्ती हेतु विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ सी. बी. सोदिया द्वारा की गई। प्रकोष्ठ प्रभारी सुश्री हेमलता लोक्श ने अग्निवीर भर्ती के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में सह संयोजक ऋषिराज पुरवार ने बताया कि अग्निपथ योजना के द्वारा युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देने का अवसर दिया जाएगा एवं उम्मीदवारों की आयु 17 वर्ष 6 माह से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा 12वीं कक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अग्निवीर भर्ती योजना के विभिन्न चरणों, जैसे लिखित परीक्षा, शारीरिक योग्यता परीक्षा, मेडिकल व ऑनलाइन आवेदन आदि के विषय में भी विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करना एवं सशस्त्र बलों की भर्तियों के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना था।

अक्षय तृतीया पर आज गुड्डे-गुडियों की होगी शादी

आज जमकर होंगे वैवाहिक कार्यक्रम, अक्ती पर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं

इधर बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन ने कसी कमर

बाजार में मिट्टी के दूल्हा दुल्हनों से बाजार सज गया है। इस दिन घरों में छोटे बच्चे पारंपरिक विधि विधान से गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाते हैं। अक्षय तृतीया यानी अक्ती के दिन देशभर में शादियां होंगी। कोतमा सहित कोयलांचल व ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सी शादियां होंगी।

अनूपपुर/कोतमा।

बच्चे गुड्डे गुड़ियों की भी शादी रचाएंगे। इसके लिए बाजार में मिट्टी के गुड्डे गुड़िया, दूल्हा दुल्हन बिकने के लिए आ गए हैं। शुक्रवार यानि आज अक्षय तृतीया का पर्व जिला मुख्यालय सहित कोतमा, बिजुरी, राजनगर, रामनगर, जैतहरी, वेंकटनगर, राजेंद्रग्राम, अमरकंटक, चचाई, भालूमाड़ा, जमुना कालरी मे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों एवं मांगलिक कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इस दिन वैवाहिक कार्यक्रम भी जमकर होंगे। गुरुवार को खरीदारी करने के लिए बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आई। बाजार में गुड्डे गुड़ियों की बिक्री भी हो रही थी जिसकी खरीदारी के लिए बच्चियों बाजार में सुबह से लेकर देर शाम तक बुद्ध गुड़ियों की खरीदारी करते नजर आई।

मुहूर्त की आवश्यकता नहीं

हिन्दू धर्म के अनुसार अक्षय तृतीया विवाह के लिए शुभ दिन माना गया है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य या विवाह के लिए मुहूर्त की आवश्कता नहीं होती है। इस दिन गांव-गांव व शहर में भारी संख्या में शादी होती है। इस पर्व को अक्ती पर्व के नाम से भी जाना जाता है। एक ओर शादी जोड़े विवाह के बंधन में बधेंगे वहीं शादी के बंधन से अंजान बच्चे पूरे रीति रिवाज के साथ मिट्टी के बने गुड्डे-गुड्डियों का पारंपरिक ब्याह रचाएंगे। कई परिवारों में बच्चे के साथ माता-पिता भी गुड्डे-गुड्डियों के विवाह की रश्में उसी तरह संपन्न कराएंगे, जैसे वास्तव में विवाह हो रहा हो। बच्चे पेड़ों की डालियों को छावनीनुमा बनाकर काल्पनिक गुड्डे-गुड्डियों को शादी के बंधन में बांधकर भेंट करने घर-घर जाएंगे। बाजार मेंअधिक संख्या में खरीदी करने पहुंच रहे हैं।

अवसर पर बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन ने कसी कमर

जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस वर्ष 10 मई को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा। इस दिन बाल विवाह की आशंका रहती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह के लिए युवती की उम्र 18 वर्ष एवं युवक की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बाल विवाह की सूचना देने की अपील की है। सूचना देने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य लोगों का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। बाल विवाह की सूचना चाईल्ड लाईन नम्बर 1098, महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती मंजूशा शर्मा के मोबाईल नम्बर 8889241112, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी के मो.नं. 9406775624, आउटरीच कार्यकर्ता विकास तिवारी के मो.नं. 9329819850, परियोजना अधिकारी अनूपपुर सुश्री सीमा गांजू के मो.नं. 8085164478, श्रीमती मालती श्याम के मो.नं. 8959630201, पर्यवेक्षक परियोजना पुष्पराजगढ़ श्रीमती द्रौपती सोनवानी के मो.नं. 8305716550, पर्यवेक्षक परियोजना कोतमा श्रीमती चिन्ती घोरमोरे के मो.नं. 7067496984, परियोजना अधिकारी जैतहरी सतीश कुमार जैन के मो.नं. 9425890120, पर्यवेक्षक श्रीमती उषा शुक्ला के मो.नं. 9406808846 पर दी जा सकती है।

खबर संक्षेप

बेटे के दुष्कर्म प्रकरण के बहाने पिता से रूपये लेने का एक आरोपी गिरफ्तार

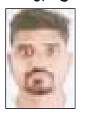

अनूपपुर। पुलिस अधिकारी बनकर एक पिता को उसके बेटे को रेप केस में फंसा देने व बेटे को पुलिस रिमांड में बताते हुए उसकी फर्जी आवाज सुनाकर जैतहरी के व्यापारी से 3 लाख 60 हजार रुपए ठग लिए थे। जिस पर जैतहरी थाने में 1 मई को साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए रीवा जिले में दबिश के बाद एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। ज्ञात हो कि फरियादी कमलेश कुमार ताम्रकार ने जैतहरी थाने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छत्तीसगढ़ के भाटापारा सहित रीवा जिले में दबिश दी गई। पुलिस रीवा जिले के अगड़ार थाना अमिलिया में आरोपी 35 वर्षीय मनीष पुत्र सुनील पटेल को हिरासत में लिया। पूछतांछ पर मनीष पटेल ने बताया कि वह पबजी गेम खेलता था। उसके पास एक फोन आया था। जिसमें कहा गया था कि आईपीएल में तुम्हें खूब पैसा मिलेगा। तुम्हारे खाते में कमीशन की राशि आएगी। 3 लाख 60 हजार में से 90 हजार रुपए मनीष पटेल के खाते में पहुंचे थे। जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए, वह आरोपी का था। इसके जरिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया। कुछ अन्य लोगों के खाते में पैसे भेजे गए थे। पुलिस ने मनीष को हिरासत में ले लिया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। पाकिस्तान के नंबर से आया था कॉल एसडीओपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि व्यापारी को इंटरनेट के जरिए कॉल किया गया था। उसके बेटे की आवाज भी कॉपी की गई थी। इंटरनेट के जरिए जिस नंबर से कॉल आया था, वह पाकिस्तान का था। इस पूरे फ्रॉड में आरोपियों के तार पश्चिम बंगाल और बिहार से भी है। फिलहाल टीम बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अपह्त नाबालिग को पुलिस ने किया दस्तयाब

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मंसूरी एवं एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व ग्राम बिजोड़ी से अपर्हत हुई नाबालिग बालिका को अनूपपुर से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के निर्देश पर एवं डीआई शहडोल रेंज, शहडोल सविता सोहाने के मार्गदर्शन में जिले में गुम एवं अपह्त नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 05.09.2022 को थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम बिजौडी से करीब 16 वर्षीय नाबालिग बालिका के गुम हो जाने पर अपराध क्रमांक 511/22 धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया जाकर एसडीओपी अनूपपुर सुमित केरकेट्टा द्वारा विवेचना की जा रही है। टी.आई. कोतवाली अरविंद जैन के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक दयावती मरावी, प्रधान आरक्षक अनिल तिवारी, आरक्षक धर्मेंद्र रावत के द्वारा उक्त नाबालिक बालिका को संतोष कुमार केवट पिता रामेश्वर प्रसाद केवट उम्र 29 साल निवासी ग्राम बिजोड़ी थाना कोतवाली अनूपपुर के कब्जे से दस्तयाब किया गया जाकर प्रकरण में धारा 366, 376, भारतीय दंड विधान, 3/4 पाक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट का इजाफा किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ पर पुलिस को बताया कि वह नाबालिग बालिका को अपने साथ भगाकर पुणे (महाराष्ट्र) ले गया था जहां कारेगाव में एक फैक्ट्री में काम करने लगा था और हाल ही में अनूपपुर वापस आने पर पकड़ा गया।

चार मवेशियों की मौत

अनूपपुर। नगमला गांव में एक किसान के घर के पीछे बंधे चार मवेशियो की बुधवार की देर रात अचानक आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आने पर स्थल पर ही मौत हो गई ।

भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर किया जायेगा भव्य आयोजन

विप्र समाज ने लोगों से की अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील

अनूपपुर।

जिले के विप्र समाज के संयोजक रामनारायण द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया की कल 10 मई शुक्रवार को शनिधाम चेतना नगर अनूपपुर में भगवान परशुराम की जयंती वैदिक मंत्रो द्वारा पूरे रीती रिवाज से मनाई जाएगी। इस अवसर पर अपरान्ह 03 बजे से वैदिक पूजन अर्चन, 04 बजे से सुन्दर काण्ड का सस्वर पाठ एवं सायं 06.30 बजे से प्रसाद (भण्डारा) वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही जिले वासियों से धार्मिक कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या सपरिवार सहभागिता निभाने एवं भार्गव भगवान परशुराम जी का आर्शीवाद प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने बताया की जिले में ऐसा आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इस आयोजन में विप्र समाज द्वारा किसी संस्था ओर किसी व्यक्ति से धार्मिक आयोजन के नाम पर एक भी पैसे का चंदा नहीं लिया गया है साथ ही यह आयोजन पूर्ण रूप से गैर राजनैतिक है। चंदा और राजनीतीकरण किसी समाज को तोड़ने का काम करती है इसलिए विप्र समाज ने सामूहिक निर्णय लिया है कि ऐसे आयोजनों में किसी से एक रुपए का चंदा नहीं लिया जायेगा। विप्र समाज ने जिलेवासियो से अपील की है कि भगवान परशुराम जयंती में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होवें, जो ब्राह्मण आयोजन में शामिल नहीं हो सकते वे इस दिन सभी अपने घरों में पूजा-अर्चना कर शाम को दीप प्रज्ज्वलित करें।

जिला पंचायत सीईओ को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

न्यायालय के आदेश के अवमानना पर नाराज हुआ कोर्ट

अनूपपुर।

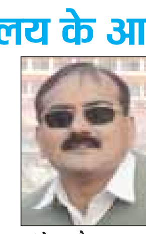

वैसे तो अनूपपुर की प्रशासनिक कार्यप्रणाली हमेशा से चर्चा में रही है। एक बार फिर मप्र उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जिला पंचायत अनूपपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के भृत्य विनोद कुमार पाटकर ने अपने लंबित वेतन भुगतान के लिए हाई कोर्ट में याचिका क्रमांक 12317/2023 प्रस्तुत की थी, जिस्‌ रपर उच्च न्यायालय ने 90 दिनों के अंदर याचिकाकर्ता के प्रकरण का निराकरण करने का निर्देश दिया था, परंतु निर्धारित अवधि में प्रकरण का निराकरण नहीं होने पर आवेदक की तरफ से अवमानना याचिका क्रमांक 1633/2024 प्रस्तुत की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्डेंट तन्मय वशिष्ठ शर्मा को नोटिस जारी किया है। याचिका कर्ता की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे और अनुभव सिंहल ने पक्ष रखा। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए थे कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना समय सीमा में सुनिश्चित करें ताकि अवमानना की कार्यवाही से बचा जा सके परन्तु अधिकारियों को कोई फर्क नही पड़ता। आवेदक वर्षो तक न्यायालय के चक्कर लगाता रहता है और जब आदेश लेकर संबंधित अधिकारी के पास पहुंचता है तो अधिकारी भी नही सुनते ऐसे में आम आदमी कहां जाए।

श्रमायुक्त ने यह दिया था निर्देश

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश का समयावधि में पालन एवं न्यायालय अवमानना प्रकरणो में प्रतिरक्षण के संबंध मे श्रमायुक्त ने पत्र क्रमांक 4974-5048 के माध्यम से दिनांक 22 फरवरी 2024 को पत्र जारी कर कहा था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये आदेश/निर्णय में नियत समयावधि में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संदर्भ में आवेदन एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का यथोचित पालन किया जाना अनिवार्य है। निर्णय का पालन समय मीमा में नहीं होने पर संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना प्रकरण दायर किये जाते है तब माननीय उच्च न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया जाना मुश्किल होता है एवं विलंब हेतु जवाबदेही निर्धारित की जाती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अतः समस्त प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सर्वप्रथम याचिकाओं में प्रत्यावर्तन तुरंत प्रस्तुत किया जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में यदि समय सीमा दी गई है, तो उस समय-सीमा के भीतर अनिवार्यतः कार्यवाही की जाये। यदि अवमानना याचिका दाखिल होती है, तो इस मबंध में संबंधित दोषी अधिकारी की जबाबदेही तय की जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अतः माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका प्रकरणों में पारित आदेशों का समयावधि में पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करे। ताकि माननीय न्यायालय में अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो।

अचानक बरसे बदरा, आंधी ने विशालकाय वृक्षों को किया धराशायी

अनूपपुर/कोतमा।

बुधवार को अचानक शाम से मौसम में बदलाव आ गया। आसमान में बादल छा गए शाम 7:30 बजे अचानक तेज आंधी तूफान के साथ धूल भरी आंधी चली। लगभग आधे घंटे तक चली आंधी के कारण जहां आमजन का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया वही लोगों के दुकानों में लगे नेम प्लेट के बोर्ड उड़कर सड़क पर गिर गए। आधे घंटे तक चले आंधी तूफान से जगह-जगह बड़े-बड़े पेड़ धराशाई हो गए वही आंधी तूफान थमने के बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई धीरे-धीरे बारिश तेज हो गई और लगभग 1 से 2 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। जिसके कारण नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत सप्लाई भी बाधित हो गई। नगर के एलआईसी के पीछे बिजली के तार में पेड़ गिर गया वही तहसील परिसर में लगे विशालकाय

पीपल का वृक्ष भी धराशाई हो गया।

विद्युत सप्लाई हुई बाधित

तेज आंधी तूफान के कारण जहां जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र एवं बिजली क्षेत्र के दो दर्जन से गांव में बिजली सप्लाई बाधित हो गई थी जिसे 3 से 4 घंटे के मेंटेनेंस के बाद 80% जगह बिजली की सप्लाई रात्रि 12 बजे तक शुरू की गई वहीं कुछ गांव में रात्रि 2 बजे एवं बचे हुए गांव में गुरुवार की सुबह विद्युत सप्लाई शुरू की गई। सहायक अभियंता राहुल कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता के एस पटेल ने बताया कि देर शाम अचानक मौसम में आए बदलाव के कारण आधे घंटे तक तेज आंधी तूफान चली जिसके कारण कोतमा नगर के लिक ऑफिस के पीछे बिजली के तार में पेड़ गिर गया इसी तरह लहसुई चंगेरी गांव के बीच में 11 के वी लाइन का विद्युत पोल टूट कर जमीन में गिर गया गोहांड्रा छलका टोला गांव एवं कुशियरा गांव में 11 केवी लाइन में पेड़ गिर गया। परासी फीडर के अंतर्गत 33 केवी लाइन में पेड़ गिर गया भालूमाड़ा गोविंद कालरी के बीच लाइन का इंसुलेटर पंचर हो गया। कोतमा नगर के महेंद्रगढ़ से मनमारी जाने वाले रोड में बिजली के तार के ऊपर यूकेलिप्टस का वृक्ष गिर गया। जिसके कारण 3 से 4 घंटे तक नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई थी। इसी तरह बिजुरी नगर सहित लगभग दो दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी तूफान चलने के कारण बिजली के तार टूट कर जमीन पर गिर गए बिजली के तार के ऊपर पेड़ गिरे थे जिसके कारण वहां भी तीन से चार घंटे तक विद्युत सप्लाई बाधित हो गई थी। बिजुरी नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कोठी सेमरा कटकोना सहित दो दर्जन गांव प्रभावित हुए थे।

अवैध पशु परिवहन के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही

अनूपपुर।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिहं पंवार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इशरार मंसूरी एवं एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा अवैध पशु परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। 08.05.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली अरविन्द जैन के नेतृत्व में सहा. उपनिरीक्षक महिपाल नामदेव, आरक्षक पूर्णानंद मिश्रा, गिरीश चौहान, प्रधान आरक्षक चालक दिनेश पाटिल के द्वारा नेशनल हाईवे 43 पर पटेल ढाबा के आगे कोतमा तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोकने का प्रयास किया गया किंतु वाहन चालक के द्वारा वाहन को नहीं रोका गया तेज गति से ले जाते हुये पटेल ढाबा के पास रोड के किनारे खड़ा कर चालक ट्रक से उतरकर भाग गया। ट्रक क्रमांक एमपी 19 0092 में अवैध पशु भैस, पड़ा 26 नग बूचड़खाना ले जाते पाये जाने पर अवैध परिवहन की कार्यवाही की गई। ट्रक क्रमांक एमी 9 ल्अ 0062 के अज्ञात चालक एवं वाहन स्वामी, पशु व्यापारी के विरूध्द अपराध क्रमांक 268/24 धारा 6, 6, 6, (1), 9 (1), 10, 11 पशु क्रूरता अधि. एवं मो. व्ही. एक्ट की धारा 66/192 का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वाहन को मय अवैध पशु जप्त कर कार्यवाही की गई।

पानी की आपूर्ति को लेकर नागरिकों ने रोका कोयला परिवहन

राजनगर।

कोयलांचल क्षेत्र राजनगर क्षेत्र के अंतर्गत इन दिनों राजनगर कालरी के कॉलोनी व कच्ची बस्तियों में नियमित रूप से पेयजल की व्यवस्था ना हो पाने के कारण बुधवार सुबह 9 बजे राजनगर कच्ची बस्ती के लोग, तथा नगर महिला वार्ड पार्षद तथा नगर के जन प्रतिनिधियो ने सीएचपी पहुंचकर कोयला परिवहन में लगे वाहनों को रोका। जिससे कुछ देर के लिए कोयला परिवहन ठप्प रहा। तत्पश्चात कालरी प्रबंधन की ओर से उप क्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र कुमार मौके स्थल पर पहुंचे तथा उपस्थित जनमानस लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उस दौरान नगर के जन प्रतिनिधियों द्वारा भी नगर में पेयजल संकट की व्यवस्था के बारे में उपक्षेत्रीय प्रबंधक जितेंद्र कुमार को अवगत कराया। ज्ञात हो कि नगर मे इन दिनों पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। जिसके कारण आज सभी एकत्र हुवे। कॉलरी प्रबंधन द्वारा नगर के गणमान्य, जन प्रतिनिधियों के साथ उप क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय राजनगर में तत्काल आवश्यक बैठक की गई। पेयजल आपूर्ति से संबंधित जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गये। नगर में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रदान करने हेतु नगर परिषद बनगवां (राजनगर) व कालरी प्रबंधन मिलकर कार्य करेंगे। पेयजल व्यवस्था निरंतर रूप से सभी नगर वासियों को मिलती रहे।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार के लिए प्रचार वाहन को दिखाई हरी झण्डी

अनूपपुर।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 11 मई को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील कोतमा व राजेन्द्रग्राम की सिविल कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये एवं अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के आधार पर किये जाने हेतु अध्यक्ष/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्दर सिंह के द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। प्रचार वाहन को रवाना करने के

दौरान श्रीमती मोनिका आध्या, सचिव, पंकज जायसवाल, प्रथम जिला न्यायाधीश, नरेन्द्र पटेल द्वितीय जिला न्यायाधीश, श्रीमती चैनवती ताराम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री अंजली शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुश्री पारूल जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट, दिलावर सिंह जिला विधिक सहायता अधिकारी, संतदास नापित चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, हेमन्त अग्रवाल जिला अभियोजन अधिकारी, पुष्पेन्द्र मिश्रा जिला लोक अभियोजक सहित अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने एवं प्रकरणों का नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु जिला मुख्यालय अनूपपुर में 06, सिविल न्यायालय कोतमा में 05 एवं सिविल न्यायालय राजेन्द्रग्राम में 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर की सचिव श्रीमती मोनिका आध्या ने बताया है कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, चेक अनादरण धारा 138 से संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा, सुलह-समझौता के माध्यम से किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु लगातार प्री-सिटिंग का आयोजन पक्षकारों, बैंकों, नगरपालिका, विद्युत विभाग के अधिकारियों के अलावा अधिवक्ताओं के साथ किया जा रहा है।